







फोन/Phone: 0129-2278018 दिनांक/Date: 10.05.2023

संदर्भ सं./Ref. No. NH/CS/199

Manager/ मैनेजर, Listing Department/ लिस्टिंग विभाग, M/s BSE Limited/ बीएसई लिमिटेड, Phiroze Jeejeebhoy Towers / फिरोज जीजीभोय टावर्स, Dalal Street,/दलाल स्ट्रीट, Mumbai/ मुंबई -400 001 Scrip Code: 533098 General Manager/ महाप्रबंधक, Listing Department/ लिस्टिंग विभाग, M/s National Stock Exchange of India Limited/ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, Exchange Plaza, / एक्सचेंज प्लाजा, Bandra Kurla Complex/ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, Bandra (E)/ बांद्रा (ई), Mumbai/ मुंबई - 400 051 Scrip Code: NHPC

ISIN No. INE848E01016

Sub: Update regarding the post of Chairman and Managing Director

विषय: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के संबंध में अपडेट।

Sirs/ महोदय,

In reference to our earlier letters dated 14.12.2022 and 04.05.2023 and in compliance to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is to inform that Ministry of Power, Government of India vide order dated 10.05.2023 has conveyed the ex-post facto approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) to extend the additional charge of the post of the Chairman and Managng Director, NHPC Limited already entrusted to Shri Rajeev Kumar Vishnoi, CMD, THDCIL (DIN: 08534217) for a further period of six (06) months w.e.f. 01.03.2023 or till the appointment of regular incumbent to the post or until further orders, whichever is the earliest.

This is for your information and record.

हमारे दिनांक 14.12.2022 और 04.05.2023 के पत्र के संदर्भ मे और सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम,2015 के विनियमन 30 के अनुपालन मे यह सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10.05.2023 के आदेश द्वारा, श्री राजीव कुमार विश्लोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल (डीआईएन: 08534217) जिन्हे पहले ही सीएमडी, एनएचपीसी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपा जा चुका है, के अतिरिक्त प्रभार की अवधि 01.03.2023 से और 06 (छ:) महीने के लिए या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने हेतु Appointments Committee of the Cabinet (ACC) के ex-post facto अनुमोदन की सूचना दी है।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है। धन्यवाद,

भवदीय

(रूपा देब) कंपनी सचिव